राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 105/2007

श्रीमती बशीरन पत्नी स्व० श्री मोहम्मद शफी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त प्रथम, जोधपुर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिटी डिबिजन, जोधपुर।
5. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर उपखण्ड–प्रथम, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक :— 07.04.2007
आदेश की दिनांक :— 16.04.2024

उपस्थिति —

अपीलार्थी की ओर से :— श्री गजेन्द्र, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से :— श्री यशवन्त मेहता, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने अपने स्वर्गीय पति श्री मोहम्मद शफी जोकि प्रत्यर्थी विभाग में नियुक्त थे, की मृत्यु दिनांक 20.08.1994 के उपरान्त उनकी कुल राज्य सेवा अवधि के आधार पर नियमानुसार देय पेंशन राशि एवं उनके स्वर्गवास की दिनांक से अपीलार्थी को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन के लाभ प्रदान कराने एवं उक्त कम में देय सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान मय विलम्ब भुगतान अवधि सहित 12 प्रतिशत ब्याज राशि के साथ समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा है।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति श्री मोहम्मद शफी को सहायक के पद पर दिनांक 11.02.1954 को स्थाई रूप से प्रत्यथर्थी विभाग में नियोजित किया गया था। स्वः श्री मोहम्मद शफी की संतोषजनक राजकीय सेवाओं के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कमशः संहायक प्रथम एवं फीटर के पद पर पदोन्नतियों के लाभ भी प्रदान किये गये एवं समय–समय पर देय वार्षिक वेतन वृद्धियों तथा संशोधित वेतनमान के अनुरूप लाभ प्रदान किये

गये। राजकीय सेवाकाल के दौरान अपीलार्थी के पति श्री मोहम्मद शफी वर्ष 1977 के पश्चात् मानसिक रूप से पीडित हो गये थे, को उपचारार्थ लम्बी समयावधि तक अवकाश पर रहना पड़ा एवं तदुपरान्त लगभग डेढ दो वर्षों पश्चात स्वस्थ हो जाने पर विभाग में उपस्थिति दिये जाने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा लम्बे अवकाश पर रहने की बजह से उन्हें ड्यूटी पर नहीं लिया गया और न ही उक्त कम में उनको कभी कोई नोटिस, सूचना अथवा आदेश ही प्रदान किये गये और न ही उक्त बाबत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की सूचना प्रेषित की गई। अपीलार्थी के पति श्री मोहम्मद शफी के मृत्यु प्रमाण–पत्र (अनुलग्नक–3) के अनुसार अपीलार्थी के पति का स्वर्गवास दिनांक 20.08.1994 को हो चुका है। श्री मोहम्मद शफी की संतोषजनक सेवाओं के पूर्ण होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देय लाभों का लाभ भुगतान प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अभी तक नहीं किया गया है जिसके लिये अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को कई बार (अनुलग्नक 4, 5 एवं 6) निवेदन किया जा चुका है। जबकि अपीलार्थी जैसे अन्य समान मामलों से सम्बंधित कर्मचारियों की विधवाओं को नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन एवं अन्य लाभ प्रदान कराए जा चुके हैं। अपीलार्थी वृद्धा, बेवा, गरीब एवं अनपढ़ महिला है तथा उसके जीविकोपार्जन का अन्य कोई सहारा व साधन उपलब्ध नहीं है। अतः अपीलार्थी को उनके स्वर्गीय पति श्री मोहम्मद शफी की मृत्यु दिनांक 20.08.1994 के उपरान्त उनकी कुल राज्य सेवा अवधि के आधार पर नियमानुसार देय पेंशन राशि एवं उनके स्वर्गवास की दिनांक से नियमानुसार देय पारिवारिक पेंशन के लाभ प्रदान करावे एवं उक्त कम में देय सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान मय विलम्ब भुगतान अवधि सहित 12 प्रतिशत ब्याज राशि के साथ समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाने का अनुतोष चाहा गया है।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के पति की सेवाएँ विभाग द्वारा दण्ड स्वरूप समाप्त की गई थी इस कारण राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान वर्कचार्ज सेवा नियमों के तहत अपीलार्थी के स्वर्गीय पति की राजकीय सेवा लगातार नहीं मानी जा सकती तथा दण्ड स्वरूप सेवा समाप्त करने के कारण अपीलार्थी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अभिभाषक का यह भी कहना है कि अपीलार्थी के पति ने अपने जीवन काल में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन परिलाभ प्राप्त करने हेतु विकल्प पत्र प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत नहीं किया है एवं अपीलार्थी के पति ने सहर्ष सी.पी.एफ. की राशि का भुगतान भी प्राप्त कर लिया था इस कारण अपीलार्थी कोई भी अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। इसके

अतिरिक्त अपीलार्थी के पति ने अपनी सेवाऐं समाप्त करने के दण्ड को किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी, इस कारण से सेवा समाप्ति आदेश अभी तक अस्तित्व में हैं, इस कारण भी अपीलार्थी पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी की तरफ से किए गए अनुरोध एवं न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दें। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।
6. अतः उक्त अपील, मय लिखित प्रार्थना पत्रों के उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य